न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस

उनवान **बालूराम** बनाम **शोभाकुमारी वगै0**

किस्म मुकदमा **दावा** मुकदमा नं. –**199/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार रींगस से विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/3401 दिनांक 06.10.2025 तैयार किया जाकर पत्रावली पर पेश शुदा है। वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के अनुसार ही अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का अलग नही किया है अतः प्रतिवादीगण का भी हिस्सा अलग किया जावे। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पेश हो चुका है ऐसी स्थिति में हिस्सा अलग किया जाना सम्भव नही है। अतः तहसीलदार रींगस द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/3401 दिनांक 06.10.2025 के मुताबिक ही वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर निम्न रूपेण डिक्री किया जाता है किः– **<u>आदेश</u>** वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांकः भू.अ./2025/3401 दिनांक 06.10.2025 के ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। इसी भांति पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। ([illegible] कुमार) उपखण्ड अधिकारी रींगस सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested